प्रेषक,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**ईमेल द्वारा**

सचिव,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/सहायता केन्द्र प्रभारी,
(काउन्सिलिंग–2021)
राजकीय, अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाएं,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1131 /संप्रपप/परी0अनु0(काउ0)/2021,　　दिनांक : 14 सितम्बर, 2021

विषय : **वर्ष–2021 की आनलाइन काउन्सिलिंग में सहायता केन्द्रों हेतु निर्देश।**

महोदय,

शैक्षिक सत्र 2021–21 में सभी राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु वर्ष–2021 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया दिनांक 14.09.2021 से प्रारम्भ हो रही है।

आपके संस्थान को प्रथम पांच चरणों की काउन्सिलिंग के लिए अभिलेख सत्यापन कार्यों हेतु सहायता केन्द्र बनाया गया है। छठवें से अन्तिम चरण तक आपका केन्द्र निजी संस्थाओं द्वारा अधिक शुल्क वसूली की शिकायतों पर सम्बन्धित छात्र के अभिलेख सत्यापन का कार्य करेगा। जनपद– कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, अमेठी एवं मुजफ्फरनगर में दो–दो संस्थाओं को तथा शेष अन्य जनपदों में एक–एक संस्था को सहायता केन्द्र बनाया गया है। सहायता केन्द्रों की सूची परिषद की वेबसाइट jeecup.nic.in पर भी उपलब्ध है।

प्रत्येक सहायता केन्द्र पर लगाये जाने वाले काउन्सलर, सहायक काउन्सलर तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या सहायता केन्द्र प्रभारी द्वारा आवश्यकतानुसार स्वयं निधारित की जायेगी। चूंकि काउन्सलर एवं सहायक काउन्सलर के द्वारा अभ्यर्थियों के डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन का कार्य कराया जायेगा, अतः इस कार्य में उन्हीं की ड्यूटी लगायी जाय जो कार्य को संवेदनशीलता के साथ गुणवत्तापूर्वक सम्पादित कर सकें। प्रत्येक सहायता केन्द्र पर लगे कार्मिकों के भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 80/– प्रति छात्र की दर से किया जाना है। इस धनराशि में रू0 15/– प्रधानाचार्य/केन्द्र प्रभारी, रू0 30/– काउन्सलर, रू0 20/– सहायक काउन्सलर एवं रू0 5/– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा रू0 10/– कन्टीजेन्सी/अन्य व्यय हेतु व्यय किया जा सकेगा।

सहायता केन्द्र पर निम्नानुसार कार्य किये जायेंगे :–

1. प्रत्येक सहायता केन्द्र के प्रधानाचार्य/केन्द्र प्रभारी को एक लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड जारी किया जायेगा। प्रधानाचार्य उक्त लॉगिन आई0डी0के माध्यम से काउन्सलर को Secondry User बनायेंगे। कार्य की अधिकता के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार काउन्सलर की संख्या केन्द्र प्रभारी द्वारा बढ़ायी जा सकती है।
2. प्रथम चरण की काउन्सिलिंग का परिणाम जारी किये जाने के उपरान्त अभ्यर्थी अपने लॉगिन से Freeze/Float के विकल्प का चयन करेंगे। Freeze विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थी अपने डाक्यूमेन्ट के सत्यापन हेतु सहायता केन्द्र पर उपस्थित होंगे। इसी प्रकार अन्य चरणों में भी केवल Freeze विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी के सहायता केन्द्र पर उपस्थित होने पर निम्नानुसार अभिलेखों की जांच कर सत्यापन किया जायेगा।
   - (अ) अभ्यर्थी के संस्थान में पहुँचने पर सर्वप्रथम बायोमेट्रिक उपस्थिति से अभ्यर्थी का मिलान कर लें। बायोमेट्रिक उपस्थिति की लिंक तथा पासवर्ड सहायता केन्द्र प्रभारी को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति की जांच के लिए उपकरण आपको प्रेषित किया जा रहा है। उपकरण को कम्प्यूटर पर Install करने के लिए आवश्यक ड्राइवर का लिंक भी आपको प्रेषित किया जा रहा है।
   - (ब) अभ्यर्थी के आवंटित ग्रुप की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की सूचनाएं परिषद की वेबसाइट jeecup.nic.in पर उपलब्ध हैं तथा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन की स्क्रीन पर भी अभ्यर्थी के विवरण के साथ प्रदर्शित रहेगी।

(स) अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01.07.2021 को न्यूनतम 14 वर्ष अर्थात् जन्मतिथि 01.07. 2007 अथवा इसके पूर्व की होनी आवश्यक है।

(द) यदि अभ्यर्थी की सीट का आवंटन आरक्षण वर्ग या उपवर्ग में हुआ है तो आरक्षण प्रमाण–पत्र की जांच की जायेगी। यदि अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग/उपवर्ग का है, परन्तु सीट का आवंटन सामान्य वर्ग/उपवर्ग में हुआ है तो आरक्षण प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(य) काउन्सिलिंग के प्रथम तीन चरणों में अभ्यर्थी की राज्य अर्हता उत्तर प्रदेश होनी चाहिए। विस्तृत सूचना विवरण–पुस्तिका के पृष्ठ–4 के बिन्दु–3 में उपलब्ध है। Other State के अभ्यर्थी चतुर्थ चरण की काउन्सलिंग से पात्र होंगे।

डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय सर्वप्रथम अभ्यर्थी के आवंटन के वर्ग को देखा जायेगा। आवंटन–पत्र पर अभ्यर्थी के आवेदन का आरक्षण वर्ग/उपवर्ग तथा सीट का आवंटन वर्ग/उपवर्ग अलग–अलग मुद्रित है। डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय यदि अभ्यर्थी के आवंटन वर्ग/उपवर्ग के अनुसार प्रमाण–पत्रों में कमी पायी जाती है तो निम्न नियमों के अनुसार काउन्सलर द्वारा निर्णय लिये जायेंगे।

(i) यदि कमी इस प्रकार की है, जिसका निराकरण सम्भव नहीं है, यथा– शैक्षिक योग्यता, आयु (01.07.2021 को न्यूनतम 14 वर्ष), तो डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय उन्हें परिवर्तित/अंकित किया जायेगा। इस दशा में अभ्यर्थी को आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी तथा अभ्यर्थी सम्पूर्ण काउन्सिलिंग प्रक्रिया से इस वर्ष के लिए बाहर हो जायेगा।

(ii) यदि कमी इस तरह की है, जिससे अभ्यर्थी के आवंटित सीट पर प्रभाव पड़ता है यदि अभ्यर्थी को किसी आरक्षण वर्ग/उपवर्ग (MP, FF, PH) से सीट आवंटित होती है, परन्तु अभ्यर्थी के पास आरक्षण वर्ग/उपवर्ग का प्रमाण–पत्र नहीं है तो उसके आरक्षण वर्ग/उपवर्ग को निम्नानुसार परिवर्तित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी अगले चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र होगा, परन्तु अभ्यर्थी का आवंटन उस चरण में स्वतः निरस्त हो जायेगा। यह अभ्यर्थी अगले चरण में बदले हुए आरक्षण वर्ग/उपवर्ग के अनुसार काउन्सिलिंग हेतु अर्ह बना रहेगा।

SC – MP/FF/PH	→	**SC**	→	**GENERAL**
ST – MP/FF/PH	→	**ST**	→	**GENERAL**
OBC-NCL – MP/FF/PH	→	**OBC-NCL**	→	**GENERAL**
GEN EWS – MP/FF/PH	→	**GEN EWS**	→	**GENERAL**
GENERAL – MP/FF/PH	→		→	**GENERAL**

किसी भी अभ्यर्थी का सामान्य से आरक्षित वर्ग/उपवर्ग में तथा आरक्षित वर्ग से अनारक्षित उपवर्ग में परिवर्तन सम्भव नहीं है।

(iii) Domicile Status उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य में परिवर्तित किये जाने पर अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के चरण–1, 2 व 3 से बाहर हो जायेगा, परन्तु चरण–4 से पुनः अर्ह हो जायेगा।

(iv) यदि किसी अभ्यर्थी का जेण्डर Female होने के कारण सीट आवंटन प्राप्त होता है, परन्तु अभ्यर्थी Male है तो काउन्सलर द्वारा जेण्डर परिवर्तन किये जाने के उपरान्त यह सीट निरस्त हो जायेगी, परन्तु अभ्यर्थी अगले चरण की काउन्सिलिंग के लिए अर्ह रहेगा।

3. अभ्यर्थी के सफलतापूर्वक डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात उसके लॉगिन पर शुल्क की लिंक प्रदर्शित होगी। कृपया अभ्यर्थी को निर्देशित कर दें कि उस चरण के लिए निर्धारित अवधि में शुल्क आनलाइन अवश्य जमा कर दें, अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

चूंकि आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया में डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि कोई भी पात्र अभ्यर्थी प्रवेश से वंचित न रह जाये एवं किसी अपात्र अभ्यर्थी का प्रवेश न होने पाये। किसी भी

भ्रम की स्थिति में काउन्सलर एवं सहायक काउन्सलर अपने केन्द्र प्रभारी से विचार–विमर्श कर भ्रम का निवारण कर लें एवं आवश्यकतानुसार परिषद से दूरभाष संख्या–6386125505 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

सभी अभ्यर्थियों के अभिलेखों की एक–एक अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित प्रति अभिलेखों में सहायता केन्द्र पर सुरक्षित रखी जायेगी। डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात दो प्रतियों में प्रिंट निकालकर जिस पर अभ्यर्थी तथा काउन्सलर हस्ताक्षर करेंगे। एक प्रति अभ्यर्थी को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति अभ्यर्थी के अभिलेखों के साथ रखी जायेगी।

काउन्सिलिंग प्रक्रिया तथा सहायता केन्द्रों पर सम्पन्न होने वाली प्रक्रियाओं का आनलाइन प्रशिक्षण दिनांक 16.09.2021 को दोपहर 12:30 बजे होगा। प्रशिक्षण में केन्द्र प्रभारी, काउन्सलर तथा सहायक काउन्सलर भाग लेंगे। प्रशिक्षण हेतु लिंक ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

भवदीय,

संलग्नक : सहायता केन्द्रों की सूची एवं काउन्सिलिंग शिड्यूल

(राम रतन)
सचिव

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा/निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

(राम रतन)
सचिव